भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश,राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

Phone : 0755-2737446,Fax: 2661263 Website:bsgmp.net, Email ;bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्रमांक / 582 / रा.मु. / राज्य निर्वा. / 2021–22 भोपाल, दिनांक 14 / 06 / 2021

–: अधिसूचना :–

प्रति,

समस्त
सम्माननीय सदस्य /निर्वाचक मंडल राज्य परिषद्
राज्य संघ भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, ।

–0–

यह अधिसूचना आज दिनांक 14 जून 2021 को स्थान भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य मुख्यालय भोपाल में प्रकाशित की जा रही है जो कि नवीन रूल्सबुक (24 नवम्बर 2019 को राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित एवं 29 नवम्बर 2020 को आभासी राष्ट्रीय परिषद में संशोधित) चेप्टर III की धारा 47 से 86 तक एवं राज्य संघ मध्यप्रदेश के उप–नियम (राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र क्र0 बी.एस.जी. / एन.एच.क्यू. / डी–5–25 / 311 / 2021–22 दिनांक 23 / 4 / 2021 द्वारा को माननीय मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप) की धारा 1 से 50 के अनुसार है नवीन राज्य परिषद के पदाधिकारियों का निर्वाचन दिनांक 28 जुलाई 2021 दिन बुधवार को प्रातः 10.30 से दोपहर 3.00 बजे तक राज्य मुख्यालय भोपाल में होगा ।

निर्वाचन किये जाने वाले पद का नाम उनकी संख्या, योग्यता, प्रस्तावक, समर्थक व मतदाता का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र	पद नाम	पद संख्या	योग्यता	प्रस्तावक समर्थक	मतदाता
1	उपाध्यक्ष	अधिकतम 12 (बारह) कम से कम 6 महिलाऐं होंगी । **जिसमें 10 पद कीं (5 पुरूष व 5 महिलायें) निर्वाचन से पूर्ति की जावेगी** । शेष 2 पद की पूर्ति मनोनयन से पूर्ति की जावेगी ।	रूल्स बुक चेप्टर –।।। के नियम–65 एवं उप–नियम की धारा –27 के अनुसार राज्य संघ से सदस्य जिन्होंने जिला संघ के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / जिला मुख्य आयुक्त जिला आयुक्त के पद पर अपनी सेवाऐं दी है वे राज्य परिषद् उपाध्यक्ष हेतु उम्मीदवार होगें।	वर्तमान इलेक्ट्रोल कॉलेज सदस्य	इलेक्ट्रोल कॉलेज सदस्य
2	राज्य मुख्य आयुक्त	1(एक)	रूल्स बुक चेप्टर –।।। के नियम–66 एवं उप–नियम की धारा –28 के अनुसार ऐसे सदस्य उम्मीदवार होगें जिन्होंने राज्य स्तर पर 3 वर्ष तक राज्य मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त (स्काउट / गाइड) के पद का अधिकार–पत्र प्राप्त किया हो अथवा जिला स्तर पर 6 वर्ष तक जिला मुख्य आयुक्त या जिला आयुक्त (स्काउट / गाइड) के रूप में अधिकार–पत्र प्राप्त किया हो।	वर्तमान इलेक्ट्रोल कॉलेज सदस्य	इलेक्टोरल कॉलेज सदस्य

निरंतर.......................2

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य परिषद के निर्वाचन का तिथिवार कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1	निर्वाचन अधिसूचना	14 जून 2021 दिन सोमवार
2	नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि	30 जून 2021 तक (कार्यलयीन समय शाम 5.00 बजे तक)।
3	नामांकन पत्रों की जांच	01 जुलाई 2021 अपरांन्ह 3.00 बजे
4	वैध नामांकन पत्रों का प्रकाशन	01 जुलाई 2021 अपरांन्ह 5.30 बजे
5	नामांकन वापसी	12 जुलाई 2021 तककार्यालयीन समय अपरान्ह 3.00 बजे ।
6	अंतिम रूप से वैद्य नामांकन पत्रों का प्रकाशन	12 जुलाई 2021 कार्यलयीन समय अपराह 5.00.बजे तक।
7	निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो	28 जुलाई 2021 दिन बुधवार प्रातः10.00 से दोप. 2.00 बजे तक
8	मतगणना	28 जुलाई 2021 दिन बुधवार एवं परिणामों की घोषणा

प्रक्रिया— 1. नामांकन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर बन्द लिफाफे में रखकर भेजे जावे।

2. खुला नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से जिसमें लिफाफे के ऊपर ....''पद हेतु नामांकन—पत्र'' स्पष्ट रूप से लिखकर भेजा जाए ।
4. डाक में खोये या विंलब से प्राप्त नामांकन पत्रों का दायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा।
5. लिफाफे को ''निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य सचिव भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय, शांति मार्ग, (स्मार्ट सीटी रोड) श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)पिन कोड—462017 के नाम से भेंजे।
6. व्यक्तिगत नामांकन पत्रों का लिफाफा देने की स्थित में रसीद प्राप्त करना स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
7. निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित परीक्षण समिति के माध्यम से नामांकन पत्रों की जांच की जावेगी एवं समिति सूची निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगी ।
8. नामांकन पत्र में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग,कांट—छांट करने पात्रता नहीं रखने वाले एवं नामांकन पत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन न करने पर नामांकन निरस्त कर दिया जावेगा।
9. एक प्रस्तावक एवं समर्थक का एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक होने पर,सदस्यता क्रमांक गलत होने पर या अन्य गलती पाये जाने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा।
10. प्रस्तावक/समर्थक/प्रत्याशी के हस्ताक्षर संदेहास्पद होने पर निर्वाचन अधिकारी समक्ष में संबंधित को हस्ताक्षर करने हेतु अपनी संतुष्टि के लिए समक्ष में बुला सकते है।
11. वेध नामांकन पत्र की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाऐगी एवं सूची मेल से प्रेषित की जाकर वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी ।
12. नाम वापसी के पश्चात यदि प्रत्याशियों की संख्या घोषित संख्या के बराबर अथवा कम हुई तो प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जावेगा।
13. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/आपातकाल/शासन के आदेश—निर्देश के परिपालन में निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित/निरस्त की जा सकेगी जिसका निर्णय निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
14. निर्वाचनं प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में म.प्र.राज्य संघ के उप—नियमों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा जो सभी को मान्य होगा।
15. निर्वाचित प्रत्याशी एवं कार्यकारिणी/परिषद् का कार्यकाल निर्वाचन परिणाम दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक होगा।

—3—

16. निर्वाचक मण्डल के सदस्य निम्न में से कोई एक दस्तावेज(मूल प्रति) के साथ लाकर मतदान कर सकेंगे।
    - 16.1 ड्रायविंग लायसेंस
    - 16.2 निर्वाचन आयोब द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र
    - 16.3 पेन कार्ड
    - 16.4 आधार कार्ड
    - 16.5 पासपोर्ट
17. निर्वाचन संबंधी समस्त जानकारी/पत्र संस्था की वेबसाईट www.bsgmp.net पर भी देखी जा सकती है। निर्वाचन संबंधी आवश्यक प्रपत्र संस्था के सूचना पटल पर चस्पा किये जाएगें।
18. नामांकन वापसी की तिथि तक संलग्न प्रपत्र पर मूल हस्ताक्षर कर स्वयं अथवा डाक से जमा करने पर ही नामांकन वापसी मान्य की जावेगी ।
19. निर्वाचन के दौरान संलग्न आचार संहिता के दिये गये आचरण नियम (code of conduct) का पालन न करने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन हेतु की गई उम्मीदवारी निरस्त करते हुए सदस्यता समाप्त करन का निर्णय भी लिया जा सकता है।
20. नामांकन पत्र में अंकित सदस्यता क्रमांक का तात्पर्य संलग्न इलेक्टोरल कॉलेज की सूची का सरल क्रमांक अंकित करने से है ।
21. यदि महिला/पुरूष वर्ग के पर्याप्त संख्या में नामांकन प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे वर्ग से इसकी पूर्ति की जा सकेगी ।

संलग्न—
1. नामांकन पत्र।
2. निर्वाचक मंडल की सूची।
3. नामांकन वापसी पत्र ।

(अशोक जनवदे)
निर्वाचन अधिकारी एवं
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश